


# PROPOSED LAY OUT PLAN OF "NANDGAV"

IN KHASRA NO.- 82, 241/95, 96, 97, 97/140, 98/141, 219/98, 220/98.  
AT VILLAGE :- NANDGAV, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.  
IN KHASRA NO.- 234/4, 235/4, 236/4, 231/5.  
AT VILLAGE :- MUNDIYA PUROHITAN, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.



**RERA No.: RAJ/P/2022/2111**



1145  
B  
18.8.22



ज.वि.प्रा.



**AREA ANALYSIS :-**

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	47067.57	47.07 %
2.	EWS & LIG	5189.92	05.19 %
3.	COMMERCIAL	1365.69	01.37 %
4.	RETAIL	600.00	0.60 %
<b>TOTAL = 1 TO 4</b>		<b>54223.18</b>	<b>54.23 %</b>
5.	PARK	5002.17	05.00 %
6.	FACILITY	6033.52	06.03 %
7.	PUBLIC UTILITY	3970.54	03.97 %
8.	GAS LINE	2849.95	02.85 %
9.	S.W.M.	50.05	0.05 %
10.	MOBILE TOWER	40.04	0.04 %
11.	PU (TOILET)	10.02	0.01 %
12.	EXI. RD 18 M.	770.25	0.77 %
13.	EXI. RD 30 M.	2839.93	02.84 %
14.	ROAD	24210.35	24.21 %
<b>TOTAL = 5 TO 14</b>		<b>45776.82</b>	<b>45.77 %</b>
<b>SCHEME AREA</b>		<b>100000.00</b>	<b>100.00 %</b>
			<b>10.00 HECT.</b>

योजना का नाम :-

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT: Cad Max PROJECTS (P) LTD.

**Rakesh**  
CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.  
301, Third Floor Prism Tower,  
Front of Police Head Quarters,  
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR  
Mobile No. 9829045031

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोजेज्मन्ट के अमीन द्वारा किया गया है।  
अमीन  
जोन-12

नोट  
1. कार्पर के मुख्यों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।  
2. आवेदित भूमि की 80% की कार्यवाही दिनांक 21.06.2022 को हो चुकी है।  
3. योजना की भूमि में वज्यूअडमिनिस्ट्रम की वार 80% की कार्यवाही प्राथमिकता अफिसरी द्वारा एवं बिके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।  
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एजेंड में आवेदक द्वारा मुख्द संख्या 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 71, 72, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 251, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 व 360 कुल मुख्द 43 कुल क्षेत्रफल 682128 वर्गमीटर है, जो जलिय में अनुमोदित योजना के 12.50, 354, 355, 356, 357, 358, 359 व 360 कुल मुख्द 43 कुल क्षेत्रफल 682128 वर्गमीटर है, जो जलिय में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रन रखा गया है। मुख्दों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर वा विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जायेगा।  
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 320 वीं बैठक दिनांक 01.07.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।  
6. योजना का यू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय) है।  
7. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।  
8. बीपीसी (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के मुख्दों पर पैरामीटर्स एवं सेटबैक जलिय (अय्यर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

उपस्थित  
जोन-12

उपस्थित  
जोन-12

उपस्थित  
जोन-12

उपस्थित  
जोन-12

उपस्थित  
जोन-12

उपस्थित  
जोन-12